

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.)
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गाँवों के रांग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)


कैम्प कोर्ट का स्थान.....सिद्धाहड़ा.....

दिनांक :- 22/06/23

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सिद्धाहड़ा
भू-अभिलेख निरीक्षक सिद्धाहड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुसंधान के आधार पर राजस्थान
भू-राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 138 के अनुसंधान में ग्राम जाडरी तहसील कपासन जिला
चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) में खाता संख्या 105
..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद
के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	जाडरी उर्फ सिद्धपुरा	105	भाद्यु पुरुष -धमा जाति - जाडरी हिस्सा 1/3 शां देह रवतीकार	भाद्युलाल पुरुष -धमा जाति - जाडरी



(Signature)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहा
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
दिनांक :- 22/06/23

क्रमांक / 21455/2023/258

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, को भजे कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनायें।
3. रक्षित पत्रावली।

(Signature)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहा
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
उपखण्ड अधिकारी, कपासन